## खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीट के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपीगणे सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र

श्रीवास्तव उप0।

फरियादी राजेश उप0।

फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री स्नील

कांकर द्वारा की गयी है।

۸ प्रकरण आज राजीनामे की कार्यवाही हेत्

नियत है।

उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश किया गया है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा०द०स० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। फरियादी राजेश गुर्जर ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तृत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी भूरा उर्फ लोकेन्द्रसिंह, पिन्का उर्फ जयकरन, करूआ उर्फ शिशुपाल, एवं जसवंतसिंह, गुर्जर को भा०द०स० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण मे जिप्तशुदा बबूल के डण्डे एवं कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने तोडतोडकर नष्ट किए जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को

अभिलेखागार भेजा जावे 🌃 खण्डपीट सदस्य. क्र.14

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीटासीन अधिकारी खण्डपीठ क० २१ गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

ATTRICAL SHEETER STATE OF STAT

ATTACH PARTY PARTY